CODE NO. Not to be filled by the Candidate

(अभ्यर्थी द्वारा नहीं मरा जाये)

Time : 3 Hours	Maximum Marks : 100	

महत्वपूर्ण निर्देश / IMPORTANT INSTRUCTIONS

- अपेक्षित विवरण केवल "प्रश्न गत्र-सह-उत्तर पुस्तिका" के ऊपर दिये गये पलेप पर ही लिखें, अन्य किसी स्थान पर नहीं।
- 2. "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका" (रफ कार्य के पृष्ठ सहित) के अन्दर कहीं पर भी कोई पहचान चिन्ह यथा, रोल नम्बर, नाम, पता, मोबाईल नम्बर / टेलीफोन नम्बर, देवताओं के नाम अथवा प्रश्न के उत्तर से असम्बधित कोई भी शब्द, वाक्य एवं अंक लिखे जाने या अंकित किये जाने को अनुचित साधनों का उपयोग माना जायेगा। ऐसा पाये जाने पर अभ्यर्थी की सम्पूर्ण परीक्षा में अभ्यर्थिता रदद कर दी जायेगी।
- 3. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर व्यवधान उत्पन्न करता है या वीक्षण स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता है अथवा वंधनापूर्ण कार्य करता है तो वह स्वयं ही अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा। वह राजस्थान सार्यजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के तहत दाण्डिक कार्यवाही हेत भी उत्तरदायी माना जायेगा।
- प्रश्नों की संख्या और उनके अंक 'प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका' में अंकित किये गये हैं!
- प्रश्नों के उत्तर निरंपवाद रूप से 'प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका' में प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिये गये स्थान पर ही लिखें, कहीं और नहीं, अन्यथा ऐसे उत्तर का मूल्यांकन परीक्षक द्वारा नहीं किया जायेगा।
- अभ्यर्थी उत्तर निर्धारित जगह में ही लिखें। किसी भी परिस्थित में पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जायेगी।
- 7. फ्लेप पर "उत्तर के माध्यम" के चौखाने में भाषा हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से एक विकल्प को ✔ द्वारा चिन्हित करें तथा उत्तर उसी चयनित भाषा में दीजिये।
- किसी प्रश्न में अंग्रेजी व हिन्दी भाषान्तर में कोई अन्तर हो, तो अंग्रेजी भाषान्तर को प्रमाणिक माना जाये।
- 9. यदि प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका कहीं से कटी-फटी या अमुद्रित है, तो शीघ्रताशीघ्र वीक्षक से कह कर उसे बदलवा लें या वीक्षक के ध्यान में ला दें, अन्यथा उसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
- 10. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र के साथ प्रवेश करना सर्वथा वर्जित है।
- 1. Write the required particulars only on the flap provided on the top of "Question Paper-cum-Answer Book" and not at
- 2. Do not write any mark of identity inside the "Question Paper-cum-Answer Book" (including paper for rough work) i.e. Roll No., Name, Address, Mobile No./Telephone No., Name of God etc. or any irrelevant word other than the answer of question. Such act will be treated as unfair means. In such a case his candidature shall be rejected for the entire examination.
- 3. A candidate found creating disturbance at the examination centre or misbehaving with Invigilating Staff or cheating will render him liable for disqualification. He shall also be liable for penal action under The Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 1992.
- 4. The number of questions and their marks are indicated in the "Question Paper-cum-Answer Book".
- 5. The answers of the questions should strictly be written in the space provided below question and not elsewhere. otherwise, such answer shall not be assessed by the examiner.
- 6. The candidate should write the answers in the provided space. No Supplementary Answer Book shall be provided in
- 7. Specify an option of language Hindi or English, by ticking v in box of "Medium of Answer" on the flap and answer in the same opted language.
- a. In any question, if there is any discrepancy in English & Hindi versions, the English version is to be treated as standard.
- 9. In case the "Question Paper-cum-Answer Book" is torn or not printed properly, bring it to the notice of Invigilator for change or direction, at earliest otherwise the candidate will be liable for that.
- 10. Possession of any type of electronic device is strictly prohibited in the Examination Hall.

JS-LP-II-21

Page 3 of 52

FOR EVALUATOR'S USE ONLY

12	
12	
 13	
14	
15	
 16	
 17	
 18	
 19	
 20	
 21	
22	
	14 15 16 17 18 19 20 21

GRAND TOTAL: IN FIGURES
IN WORDS

SIGNATURE OF EXAMINERS

SIGNATURE OF HEAD EXAMINER

Note: Attempt all questions. Marks of each question are mentioned against the question.

नोटः समस्त प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके समक्ष अंकित किये गये हैं।

Question No. 1

[03 Marks]

Zahir Khan, SHO Kotwali, Jaipur arrested Harish in a murder case. On being produced before the Magistrate, he was remanded to police custody for 12 days. Zahir Khan did not provide food to Harish continuously for 04 days, as a result of which health of Harish started deteriorating. On 5th day, Superintendent of Police visited the police station and Harish complained about non-supply of food, consequently, Zahir Khan was suspended and immediately placed in police lines. Ashok Kumar was posted as SHO, who illegally omitted to supply food to Harish for next 04 days, resultantly, Harish dies of hunger. What offence Zahir Khan and Ashok committed? Explain with relevant provisions of law.

प्रश्न संख्या 1

जहीर खान, कोतवाली जयपुर का भारसाधक अधिकारी, ने हत्या के मामले में हरीश को गिरफ्तार किया। मिजिस्ट्रेंट के समक्ष प्रस्तुत करने पर, उसे 12 दिन की पुलिस अभिरक्षा में प्रेषित किया गया। जहीर खान ने निरन्तर चार दिनों तक हरीश को भोजन उपलब्ध नहीं कराया, जिसके परिणामस्वरूप हरीश का स्वास्थ क्षीर्ण होने लगा। पांचवे दिन पुलिस अधीक्षक पुलिस थाना आया और हरीश ने भोजन नहीं देने की शिकायत की। परिणामस्वरूप जहीर खान को निलम्बित किया गया और तुरन्त पुलिस लाईन भेजा गया। अशोक कुमार भारसाधक अधिकारी के रूप में पदस्थापित हुआ जिसने हरीश को अगले चार दिनों तक भोजन देने का अवैध रूप से लोप किया। फलस्वरूप हरीश भूख से मर जाता है। जहीर खान और अशोक ने क्या अपराध कारित किया? विधि के सुसंगत प्रावधानों सहित व्याख्या कीजिए।

7 T. C.		

Page 5 of 52

Oi	Je	sti	on	No	2
•	u		vu	110	. ~

[03	Marks]
-----	--------

M/s. Ram Industries is having two directors i.e. Mr. Ram and the District Magistrate of that district. A complaint is filed for the offence punishable under section 138 of The Negotiable Instruments Act, 1881. Discuss briefly about the liability of the District Magistrate being prosecuted in the capacity of director.

प्रश्न संख्या 2

मै. राम इन्डस्ट्रीज के दो नि	देशक हैं जो कि श्री	ो राम तथा जिले व	ग जिला मजिस्ट्रेट	हैं। परक्राम्य
लिखित अधिनियम, 1881 की	धारा 138 के अन्त	र्गत दण्डनीय अपराध	र हेतु एक परिवाद	प्रस्तुत किया
गया। निदेशक के रूप में आ	भेयोजित किए जाने प	ार जिला मजिस्ट्रेट व	के दायित्व के सम्बन	ध में संक्षेप में
वर्णन कीजिए।				
		·		
	-			
	- •			

JS-LP-II-21

Page 7 of 52

Question No. 3	[03 Marks]	

During the investigations of a first information report lodged u/s 420 IPC, investigating officer reached at conclusion that an offence punishable u/s 138 of The Negotiable Instruments Act, 1881 is also made out. He collected the cheque dated 13.10.2021, Memo of presentation of cheque for encashment dated 31.10.2021, Cheque dishonor memo dated 07.11.2021, Copy of notice dated 18.11.2021 issued by the complainant to the accused and postal receipt thereof. After completion of investigation charge sheet for the offences punishable under section 420 IPC and 138 of The Negotiable Instruments Act, 1881 is filed in the court on 10.12.2021. Whether Magistrate can proceed against the accused for the offence under section 138 of The Negotiable Instruments Act, 1881 also? Discuss.

प्रश्न संख्या 3

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अन्तर्गत दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसंधान के दौरान अनुसंधान अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 में दण्डनीय अपराध भी बनता है। उसने चैक दिनांकित 13.10.2021, चैक को नकदीकरण के लिए प्रस्तुत करने का ज्ञापन दिनांकित 31.10.2021, चैक अनादरण ज्ञापन दिनांकित 07.11.2021, परिवादी द्वारा अभियुक्त को जारी किए गये सूचना पत्र दिनांकित 18.11.2021 की प्रति और उसकी डाक रसीद एकत्र की। अनुसंधान के पूर्ण होने के पश्चात भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 एवं परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हेतु न्यायालय में आरोप पत्र 10.12.2021 को

	-	 	 	

Question No. 4 State briefly about th	e disqualifications o	[03 M f a person for appoin	larks] tment as a member of
Juvenile Justice Board			
प्रश्न संख्या 4 किशोर न्याय बोर्ड के सव संक्षेप में बताइए।	दस्य के रूप में नियुक्ति	के लिए एक व्यक्ति की	निर्योग्यताओं के सम्बन्ध में

Question No. 5 Write a short note about the constitution of Internal Complaint Committee under The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. प्रश्न संख्या 5 मिटिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (नियारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 व अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति के गठन के बारे में लघु लेख लिखिए।		
The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. प्रश्न संख्या 5 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 व	Question No. 5	[03 Marks]
Redressal) Act, 2013. प्रश्न संख्या 5 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 व	Write a short note about the constituti	on of Internal Complaint Committee unde
प्रश्न संख्या 5 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 व	The Sexual Harassment of Women a	t Workplace (Prevention, Prohibition and
महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 व	Redressal) Act, 2013.	
·	प्रश्न संख्या 5	
अंतर्गत आंतरिक शिकायत सिमिति के गठन के बारे में लघु लेख लिखिए।	महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (l	निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013
	अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति के गठन के बारे	रे में लघु लेख लिखिए।

Question No. 6	[03 Marks]
xplain in short the definition of "Sexual Harass	sment" under The Sexual Harassmer
Of Women At Workplace (Prevention, Prohibition	on and Redressal) Act, 2013.
। श्न संख्या 6	
महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण,	प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013
· · · · · ·	

[03 Marks]
ement of victim by the police during the
The Protection of Children from Sexual
2012 के अंतर्गत मामले के अनुसंधान के दौरान
प्रक्रिया क्या है?

•			
a			
Question No. 8		[03 Marks]	
What offense is committed by husban	d if he indulges	in sexual interc	ourse with his
own wife, if age of the wife is below 1	18 years? Explain	with relevant	provisions and
case law.			
प्रश्न संख्या 8			
पति द्वारा क्या अपराध कारित किया गया जब			
हैं, के साथ लैंगिक सम्भोग में लिप्त होता	हें? सुसगत प्रावधा	नों एवं निर्णित वि	धि सहित व्याख्या
कीजिए।			
		,	
JS-LP-II-21	Page 14 of 52		

•
Question No. 9 [03 Marks]
Ramesh and Sunita, though not married but are living under one roof as husband and
wife. Ramesh committed domestic violence with Sunita. Whether Sunita can file a
complaint against Ramesh under The Protection of Women from Domestic Violence
Act, 2005? Explain in brief with relevant provisions of law.
प्रश्न संख्या 9
रमेश और सुनीता, जो विवाहित नहीं हैं लेकिन पित व पत्नी की तरह एक छत के नीचे साथ रह रहे
हैं। रमेश, सुनीता के साथ घरेलू हिंसा करता है। क्या सुनीता रमेश के विरुद्ध घरेलू हिंसा से महिलाओ
है। रमशे, सुनाता के साथ परेंदू किया कर्या कर सकती है? विधि के सुसंगत प्रावधानों सहित
संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए।

Question No. 10	[03 Marks]	
20 years & 6 months old Ramesh is con	nvicted for an offence punis	hable under
section 304 II of Indian Penal Code, 1860		
released on probation? Explain with the he		
	Profision allu C	ase law.

Page 16 of 52

प्रश्न संख्या 10
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 304 II के अंतर्गत दण्डनीय अपराध में 20 वर्ष एवं 6 माह की उम्र
के रमेश को दोषसिद्ध किया जाता है। क्या ऐसा अभियुक्त परीवीक्षा पर छूटने का अधिकार रखता है?
सुसंगत प्रावधान और निर्णीत विधि की मदद से व्याख्या कीजिए।

Page 17 of 52

Question No. 11	[04 Marks]
Akash and Bhushan commit robbery. Ak threatened the victim with a pistol which h	ne was carrying but did not fire. Both were
convicted under section 392 and 397 IPC. E	xplain the legality of the Judgement.
प्रश्न संख्या 11	
आकाश एवं भूषण ने लूट कारित की। लूट कारित करता था, से पीड़ित को धमकाया परन्तु पिस्तोल न 397 के अंतर्गत दोनों को दोषसिद्ध किया गया। निर्ण	हीं चलाई। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 392 एव
	·

Question No. 12	[04 Marks]	
Whether the Magistrate is precluded to	o pass a sentence, in an applic	ation under
section 125 (3) of the Code of Criminal	Procedure, beyond a period of (01 month in
pursuance of execution warrant on a co	onsolidated application made wit	thin 01 year
from the date on which the amount beco	ome due?	
प्रश्न संख्या 12		
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 (3) के अंतर	ति आवेदन में, राशि देय होने के एक	वर्ष के भीतर
प्रस्तुत समेकित आवेदन पर, वारण्ट के निष्पादन	के अनुसरण में, क्या मजिस्ट्रेट एक माह	की अवधि से
अधिक की सजा सुनाने से निवारित है?		

Question No. 13	[04 Marks]	
(a) "'Relevancy' and 'Admissibility' are not co-extensive to	erms". Explain.	
(b) Explain "refreshing memory" of the witness with the I	nelp of relevant pr	ovision.
प्रश्न संख्या 13		
(अ) "'सुसंगतता' और 'ग्राहृता' सह—व्यापक पद नहीं हैं"। विवेचित की	गेजिए।	
(ब) सुसंगत प्रावधान की सहायता से साक्षी की "स्मृति ताजा करना"	को स्पष्ट कीजिए।	
(a) "'Relevancy' and 'Admissibility' are not co-extensive to	erms". Explain.	
(अ) "'सुसंगतता' और 'ग्राहृता' सह-व्यापक पद नहीं हैं"। विवेचित व	जेजिए ।	
		

Page 21 of 52

(b) Explain "refreshing memory" of the witness with the help of releva		vant provision.	
(ब) सुसंगत प्रावधान की सहायता से साक्षी की "स्मृति			
	•	<u>-</u>	
Question No. 14	[04 Marks]		
How many types of appeals are provided Protection of Children) Act, 2015?	under The Juvenile Justic	e (Care &	

प्रश्न संख्या 14 किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत कितने प्रकार की अपीलें प्रावधानित हैं?

	-
	ros Markel
Question No. 15	[04 Marks]
What care the court should take to reco	ord the statement of victim in cases under the
That care the court should take to rece	Act 2012? Explain with
provisions of The Protection of Children	from Sexual Offence Act, 2012? Explain with
the relevant provisions of law and case	
The state of the s	
प्रश्न संख्या 15	
नैंगिक आयामें से ना उसे का संख्या अधिक	यम, 2012 के प्रावधानों के अंतर्गत मामलों में पीड़ित के
लागक अपराधा स बालका का सरक्षण आधान	14, 2012 पर अपिया । जन्में न निर्णित विशि स्पतिन
कथन लेखबद्ध करने में न्यायालय को क्या ध्यान	। रखना चाहिए? सुसंगत प्रावधानों व निर्णित विधि सहित
स्पष्ट कीजिए।	

Question No.	. 16		[06 Marks]	
Define any th	ree o	of the following -		
	a)	Thug		
	b)	Grievous Hurt		
	c)	Trafficking of person		
	d)	Extortion		
	e)	Robbery		
प्रश्न संख्या १	16			
निम्न में से कि	न्हीं ती	न को परिभाषित कीजिए –		
	अ)	उ ग		
	ৰ)	गंभीर उपहति		
	स)	व्यक्ति का दुर्व्यापार		
	द)	उद्दापन		
	य)	लूट		
	a)	Thug		
	अ)	ठग		

Page 26 of 52

b) Grievous Hurt	
ब) गंभीर उपहति	
c) Trafficking of person	
स) व्यक्ति का दुर्व्यापार	
	

d) Extortion	
द) उद्दापन	
e) Robbery	
य) लूट	

Question No. 17 [06 Marks]
What shall be the effect of following defects in a criminal trial? Explain referring the
relevant provisions of Code of Criminal Procedure, 1973 and case laws -
a. The Charge is defective.
b. Judgment of conviction and sentence delivered in the absence o
accused.
C. Material Prosecution witnesses examined by the court without securin
c. Material Prosecution witnesses examined by the court without securing
the presence of accused in the court.
प्रश्न संख्या 17
एक दाण्डिक विचारण में निम्नलिखित किमयों का क्या प्रभाव होगा? दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
सुसंगत प्रावधानों और निर्णित विधि के संदर्भ देते हुए विवेचन कीजिए –
अ. आरोप दूषित है।
ब. दोषसिद्धि एवं सजा का निर्णय अभियुक्त की अनुपरिथिति में पारित किया गया।
स. अभियुक्त की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित किए बिना न्यायालय द्वारा तात्वि
अभियोजन साक्षियों का परीक्षण।

Question No. 18 Distinguish between the following -	[06 Marks]	
a) Enquiry and Trial		
b) Discharge and Acquittal		
c) Summons Case and Warrant Case		
प्रश्न संख्या 18		
निम्नलिखित के बीच में विभेद कीजिए –		
अ) जांच एवं विचारण		
ब) उन्मोचन एवं दोषमुक्ति		
स) समन मामला एवं वारण्ट मामला		
a) Enquiry and Trial अ) जांच एवं विचारण		

b) Discharge and Acquittal	
ब) उन्मोचन एवं दोषमुक्ति	
c) Summons Case and Warrant Case	
स) समन मामला एवं वारण्ट मामला	

Question No. 19 [06 Marks]
What is a dying declaration? Explain fully the law in India relating to the admissibility
in evidence of a dying declaration. Can a dying declaration form the sole basis of a
conviction? Explain with relevant provisions and case law.
uwi zirw
प्रश्न संख्या 19
मृत्युकालिक कथन क्या है? मृत्युकालिक कथन की साक्ष्य में ग्राहृता के विषय में भारत में विधि को पूर्ण
रूप से विवेचित कीजिए। क्या मृत्युकालिक कथन दोषसिद्धि का एकमात्र आधार बन सकता है? सुसंगत
प्रावधानों एवं निर्णीत विधि सहित स्पष्ट कीजिए।

Question No. 20 Explain any three in view of the definition & Protection of Children) Act, 2015 -	[06 Marks] ions provided under The Juvenile Justice (Care
a) Best interest of child	
b) Children court	
c) Fit facility	
d) Orphan	
e) Surrendered child	
प्रश्न संख्या 20 किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्ष का ध्यान रखते हुए किन्हीं तीन को स्पष्ट कीजि	ण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत प्रावधानित परिभाषाओं गए —
अ) बालक का सर्वोत्तम हित	
ब) बाल न्यायालय	
स) उचित सुविधा तन्त्र	
द) अनाथ	
य) अभ्यर्पित बालक	
a) Best interest of child	
अ) बालक का सर्वोत्तम हित	

b) Children court	
ब) बाल न्यायालय	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

c) Fit facility				
स) उचित सुविधा त	न्त्र			
			•	
d) Orphan				
द) अनाथ			•	
		٠		

e) Surrendered child
य) अभ्यर्पित बालक
•

Question No. 21

[10 Marks]

Police Station Kotwali Alwar received information in the evening of 09.03.1992 that a truck RJ02 A 2233 had broken the forest department barrier and collided with a motorcycle. The receipt of this information (By means of telephonic conversation) alerted the police. Sub Inspector Radha Mohan along with others were stationed at vantage point, on the main road when the truck reached there. SI Radha Mohan signaled the truck to stop. It was being driven by the accused. Instead of applying brakes, the accused tried to speed away, upon which SI Radha Mohan tried to board the truck from its left side. Accused warned SI Radha Mohan not to do so and that he would be killed. Nevertheless, SI Radha Mohan boarded the truck. Immediately, the accused pushed him, as a result whereof SI Radha Mohan fell off the truck and was run over by its rear wheels and expired at the spot. Accused fled away with the truck. He was later caught and arrested.

Frame Charge and write a judgment.

प्रश्न संख्या 21

09.03.1992 की शाम को पुलिस थाना कोतवाली अलवर ने एक सूचना प्राप्त की कि एक ट्रक आर.जे. 02 ए 2233 ने वन विभाग के बेरीयर को तोड़ दिया और एक मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी। इस सूचना की प्राप्त (टेलिफोनिक बातचीत के साधनों द्वारा) ने पुलिस को सचेत कर दिया। उप-निरीक्षक राधा मोहन अन्य के साथ वैन्टेज पॉईन्ट मुख्य सड़क पर खड़ा हो गया, जब ट्रक वहां पहुंचा। उप-निरीक्षक राधा मोहन ने ट्रक को रूकने का इशारा किया। यह अभियुक्त द्वारा चलाया जा रहा था। ब्रेक लगाने के बजाय, अभियुक्त ने रफ्तार से भागने की कोशिश की जिसपर उप-निरीक्षक राधा मोहन ने ट्रक पर बायीं तरफ से चढ़ने का प्रयास किया। अभियुक्त ने उप-निरीक्षक राधा मोहन को ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी अन्यथा वह मारा जाएगा। इसके बावजूद भी उप-निरीक्षक राधा मोहन ट्रक पर चढ़ गया। अभियुक्त ने तुरन्त उसे धक्का दिया, जिसके परिणमस्वरूप उप-निरीक्षक राधा मोहन ट्रक से गिर गया और ट्रक के पिछले पहियों के नीचे आ गया और मौके पर ही मर गया। अभियुक्त ट्रक सिहत भाग गया। वह बाद में पकड़ा गया और गिरफ्तार किया गया। आरोप विरचित कीजिए और निर्णय लिखिए।

JS-LP-II-21 Page 40 of 52

Question No. 22

[10 Marks]

On 26.05.2004, marriage function of the daughter of one Rama was going on in village Pipli. In the said marriage function Rama invited complainant Madhu Singh (PW 2) and his family members. In the afternoon between 3 to 4 pm, Sh. Mal Singh and Smt. Sajjan Bai, father and mother of the complainant went to the house of Rama as invitees. Madhu Singh was taking meal. At this juncture, accused Bonder, his sons accused Pappu and Munna reached there. They abused Mal Singh and ask him as to who had invited him. There was exchange of hot words and an altercation took place. Suddenly, Pappu deait a lathi blow on the left side of the head of Mal Singh. Accused Munna also caused injury on left shoulder and left hand of Mal Singh. At that moment Madhu, Man Singh and Sajjan Bai, witnesses, rushed to save Sh. Mal Singh. Accused threatened these persons and escaped from the spot. Mal Singh was taken to the hospital where he scrummed to the injury on 27.05.2004. Accused were apprehended and produced before the court.

Frame Charge and write a judgment.

प्रश्न संख्या 22

26.05.2004 को, गांव पीपली में रामा की पुत्री का वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा था। उक्त वैवाहिक कार्यक्रम में रामा ने परिवादी मधु सिंह (पी.ड. 2) और उसके परिवार के सदस्यों को आमन्त्रित किया। दोपहर पश्चात 3 से 4 बजे के मध्य मल सिंह और सज्जन बाई, परिवादी के पिता और माता आमन्त्रित के रूप में रामा के घर गये। मधू सिंह भोजन ले रहा था। इस समय पर अभियुक्त बोन्दर व उसके पुत्र अभियुक्तगण पप्पू और मुन्ना वहां पहुंचे। उन्होंने मल सिंह को गालियां निकालीं और उससे कहा कि उसे किसने आमंत्रित किया। वहां तीखी बहस और तकरार हो गई। अचानक पप्पू ने मल सिंह के सिर के बाई तरफ लाठी से वार किया। अभियुक्त मुन्ना ने भी मल सिंह के बायें हाथ और बायें कंधे पर उपहित कारित की। इसी क्षण पर मधु, मान सिंह और सज्जन बाई, साक्षीगण, श्री मल सिंह को बचाने के लिए दोंड़े। अभियुक्त ने इन व्यक्तियों को धमकाया और मौके से भाग गए। मल सिंह को अस्पताल ले जाया

JS-LP-II-21

Page 46 of 52

गया जहां वह चीट के कारण 27.0 पेश किए गए।	15.2004 को मर	गया। अभिर्	पुक्तगण पकड्	3 गए और ³	न्यायालय व	के समध
आरोप विरचित कीजिए और निर्णय	. 8.0					
ार भग्य	ालखिए।					
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
			.,			
.,						